# निविदा की निबंधन व शर्ते

01. निविदाकर्ता का छत्तीसगढ़ राज्य में विगत तीन वर्षो से एक पंजीकृत फर्म/संस्था/कम्पनी के रूप में कार्यरत होना अनिवार्य है।

02. जो भी निविदा निर्धारित अंतिम तिथि व समय के पश्चात प्राप्त होगी वह खोली नही जाकर लौटा दी जायेगी। अधूरे एवं अपूर्ण निविदा प्रपत्र भी अस्वीकार कर दियें जायेंगे।

03. निविदा फार्म का मूल्य 1000/– रू. है, जो कलेक्टर बलौदाबाजार–भाटापारा के नाम से "0029 भू–राजस्व एवं 800 अन्य प्राप्तियां शासकीय मद में चालान द्वारा जमा किया जाकर निविदा फार्म के साथ संलग्न करना आवश्यक है। यह राशि वापसी योग्य नहीं होगी। प्रारंभिक तिथि 14.7.2017 तथा अंतिम तिथि 20.7.2017

04. सशर्त निविदाएँ स्वीकार्य नहीं होगी।

05. किये जाने वाले कार्य हेतु प्रस्तावित दर में राजस्व कर शामिल होना आवश्यक है।

06. निविदा दो अलग–अलग सीलबंद लिफाफों A तथा B में प्रस्तुत की जावेगी। लिफाफा A तकनीकी दस्तावेजों तथा लिफाफा B प्रस्तावित दरों से संबंधित होगा। उक्त दोनों लिफाफों को एक बड़े लिफाफे, जिसके उपर संस्थान का नाम–पता अंकित होगा,में बंद कर कार्यालयीन समय में जमा करना होगा। निविदा जमा करने की प्रारंभिक तिथि 14.7.2017 ............... तथा अंतिम तिथि 20.7.2017 अपरान्ह 3.00 बजे तक है।

07. लिफाफा A में निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करना अनिवार्य है :–

(a) निविदाकर्ता का GST का जीवित पंजीयन ।

(b) भू–अभिलेख के रिकार्ड एवं राजस्व न्यायालयीन रिकार्ड (बंदोबस्त मिशल, चकबन्दी मिशल, अधिकार अभिलेख, खसरा, बी–1, नक्शा, राजस्व प्रकरण वगैरह) के डिजिटलीकरण कार्य क अनुभव दर्शित करने के लिये 01 शासकीय संस्था का कार्यादेश व कार्य पूर्णतः संबंधी प्रमाण–पत्र।

(c) पूर्व में भू–अभिलेखों एवं राजस्व न्यायलयीन अभिलेखों का कम से कम 10 लाख पेजेस के किये गये डिजिटाईजेशन कार्य से संबंधित अनुभव प्रमाण–पत्र ,संबंधित अभिलेखों का साईज– A2, A3, A4 एवं A0 है।

(d) किसी प्रदेश के किसी जिले में स्कैण्ड अभिलेखों के खोज साफ्टवेयर का यूजर मैन्युअल ( लिफाफा A में संलग्न दस्तावेजों के अनुसार पात्र पाये गये निविदाकारों से साफ्टवेयर का डेमो प्रदर्शन किया जायेगा एव कय समिति के द्वारा डेमो प्रदर्शन में उचित एवं योग्य पाए गये निविदाकारों का ही लिफाफा खोला जायेगा।

(e) किसी प्रदेश के किसी जिले में राजस्व अभिलेख का खोज सॉफ्टवेयर का सक्षम अधिकारी का संतुष्टि पत्र (आवश्यक होने पर उक्त अधिकारी से संतुष्टि पत्र के संबंध में जानकारी ली जा सकती है। )

(f) Map Digitisation का अनुभव को दर्शित करने के लिये किसी संस्था का कार्य का आदेश।

(g) विगत 3 वर्षो के दौरान निविदाकर्ता संस्था का औसत टर्नओवर न्यूनतम 1 करोड़ रूपये होने का चार्टर्ड एकाउंटेट का प्रमाण पत्र।

(h) टर्नओवर के अनुसार सर्विस टैक्स वित्तीय वर्ष 2013–, 2014–15, 2015–16 का कर अदायगी का रिटर्न प्रति।

(i) कलेक्टर भू–अभिलेख बलौदाबाजार को अमानति देय (Earnest Money) रू. 100000/– का डी.डी. अथवा FDR । जो निविदाकर्ता उद्योग विभाग से पंजीकृत है तथा सक्षमता प्रमाण पत्र प्राप्त है, ऐसे निविदाकारों द्वारा प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर अमानती राशि की शर्त से छूट दी जायेगी।

(j) निविदा फार्म का मूल्य 1000/– रूपये का चालान जो कलेक्टर बलौदाबाजार के नाम शासकीय मद 0029 भू–राजस्व 800 अन्य प्राप्तियां में जमा कराना होगा।

(k) फार्म का के अधिकृत संचालक का स्व–सत्यापित पहचान–पत्र।

(l) निर्धारित प्रपत्र A

08. लिफाफा B में निम्नलिखित दस्तावेज संलग्न करना अनिवार्य है:–

(a) निर्धारित प्रपत्र B (वित्तीय निविदा)

यदि निविदाकार की निविदा स्वीकृत होती है तो उसे स्कैनिंग किये जाने वाले रिकार्डस के संधारण तथा खोज (Searching) के लियें अनुमोदित Design का सॉफ्टवेयर तैयार करना होगा। साफ्टवेयर का कापी राईट अधिकार जिला कलेक्टर बलौदाबाजार–भाटापारा के पास सुरक्षित रहेगा। कार्य समाप्ति उपरांत Supporting File, Sorce Code एवं User Manual कलेक्टर भू–अभिलेख शाखा में जमा करना होगा।

10. इस कार्य के लियें सभी प्रकार के स्कैनिंग क्षमता की मशीन एवं कुशल कर्मचारियों सामग्रियों इत्यादि सभी व्यवस्था चयनित फर्म के द्वारा ही किया जावेगा, इसके लियें कोई भी अतिरिक्त राशि का भुगतान नही किया जावेगा।
11. डिजिटीईजेशन करते वक्त पुराने अभिलेखो का यदि बाईडिंग खोलना होगा तो कार्य पश्चात बाईडिंग का कार्य चयनित ठेकेदार को ही करना होगा।
12. स्कैनिंग का कार्य करने का स्थल कलेक्टोरेट बलौदाबाजार–भाटापारा नियत किया गया है। रिकार्ड को कार्यालय से बाहर ले जाने की अनुमति नही होगी।
13. दस्तावेज अत्यंत महत्वपूर्ण है अतः यह सुनिश्चित करना आवश्यक होगा कि दस्तावेज क्षतिग्रस्त ना हो तथा उनकी गोपनीयता बनी रहें।
14. सर्वप्रथम तकनीकी निविदा को ही खोला जायेगा। तकनिकी माप–दण्ड पूर्ण करने पर वित्तीय निविदा खोली जायेगा।
15. स्वीकृत निविदाकार एवं कलेक्टर के मध्य गैर–न्यायायिक स्टाम्प पेपर पर अनुबंध सम्पादित किया जायेगा। अनुबंध के पश्चात कलेक्टर जिला बलौदाबाजार–भाटापारा के द्वारा संबंधित फर्म को कार्य आदेश जारी किया जावेगा।
16. जिस निविदादाता फार्म की निविदा स्वीकृत नहीं होगी, उसकी अमानत राशि 100000/– निर्णय लिये जाने के तत्काल बाद लौटा दी जावेगी।
17. सफल निविदाकार/ठेकेदार द्वारा निर्धारित शर्तो के अनुरूप कार्य सफलतापूर्वक किये जाने पर सुरक्षा राशि वापस लौटायी जाएगी। यदि स्वीकृत फर्म किसी कारण से अपनी विविदा वापस ले लेता है या निविदा के अनुसार कार्य नहीं कर पाता है तो उसकी सुरक्षा राशि राजसात कर ली जावेगी और उस के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही नियमानुसार की जावेगी।
18. चयनित निविदाकर्ता को संबंधित आदेश मिलने के 03 दिवस के भीतर कार्यालय कलेक्टर भू–अभिलेख बलौदाबाजार से संपर्क कर निविदा कार्य प्रारम्भ करना अनिवार्य है।
19. कार्य गुणवत्ता अनुरूप नहीं होने की स्थिति में सुरक्षा निधि को जब्त, कार्यादेश निरस्त करने का पूर्ण अधिकार जिला कलेक्टर बलौदाबाजार–भाटापारा में निहित होगा।
20. चयनित फर्म को प्रति माह पूर्ण किया गया स्कैनिंग इत्यादि कार्य का अनुमोदित राशि का भुगतान किया जायगा।
21. संबंधित फर्म द्वारा देय किसी भी टैक्स का अतिरिक्त भुगतान इस कार्यालय द्वारा नही किया जावेगा। स्वीकृत दर/राशि ही भुगतान हेतु अंतिम रूम से मान्य होगी। परन्तु अतिरिक्त अनुमोदित कार्य करने पर अतिरिक्त राशि भुगतान योग्य होगा।
22. स्कैनिंग एवं अपलोडिंग उपरांत निविदाकर्ता कोई भी अभिलेख साफ्ट कापी या हार्ड कापी के रूप में न तो अपने पास रखेगा और नही उसे किसी अन्य रूप में प्रयोग करेगा और न ही किसी प्रयोग करने के लिये देगा। स्कैनिंग में तैनात सुरक्षा बल को किसी भी समय शक होने पर जांच–पड़ताल एवं तलाशी करने का पूर्ण अधिकार होगा। चूक की अवस्था में वैधानिक दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी।
23. सफल निविदाकार को स्कैनिंग एवं संबंधित कार्यो में कार्यरत स्टाफ एवं सुपरवाइजर का नाम, माता–पिता का नाम, निवास स्थान, मोबाईल नंबर की स्वयं द्वारा सत्यापित जानकारी अधीक्षक भू–अभिलेख जिला बलौदाबाजार–भाटापारा को प्रदान करनी होगी। ?
24. निविदाकार फर्म को किसी शासकीय विभाग/ संस्था से ब्लैक–लिस्टेड नहीं होना चाहिए।
25. अनुबंधित अवधि के दौरान यह कार्य निविदाकर्ता के द्वारा ही संपन्न किया जायेगा उसे यह कार्य Sublet या Assign करने का अधिकार नही होगा।
26. कलेक्टर बलौदाबाजार–भाटापारा किसी भी समय निविदा फार्म को संशोधित करने या निविदा को पूर्णतः निरस्त करने में सक्षम होंगे।

कलेक्टर बलौदाबाजार–भाटापारा व सफल निविदाकार/ठेकेदार के मध्य विवाद केवल बलौदाबाजार के न्यायालय अधिकार क्षेत्र का विषय होगा।

कलेक्टर
बलौदाबाजार–भाटापारा

hilekh 9